भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4149

मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्ट-अपों में निजी निवेश को बढ़ावा देना

4149. श्रीमती मंजू शर्माः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा स्टार्ट-अप इंडिया पहल के अंतर्गत निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे/उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्टार्ट-अप इंडिया लीड फंड योजना के अंतर्गत संस्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अपों के लिए कारोबार करने में सुगमता बढ़ाने, पूंजी जुटाने और अनुपालन भार को कम करने के लिए कौन-कौन से विनियामक सुधार किए गए हैं; और

(घ) एक वर्ष में जीईएम स्टार्ट-अप रनवे में कितने मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप शामिल किए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, स्टार्टअप्स हेतु निधियों का कोष (एफएफएस) स्कीम, निजी उद्यम पूंजी निवेश की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए स्थापित की गयी है और इसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित किया जाता है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करता है, जो आगे स्टार्टअप्स में निवेश करती हैं। एफएफएस के तहत समर्थित एआईएफ को स्टार्टअप में एफएफएस के तहत प्रतिबद्ध राशि का कम से कम दो गुना निवेश करना आवश्यक है। इस स्कीम के तहत, सिडबी ने 140 से अधिक एआईएफ को 9,994 करोड़ रुपए की निवल प्रतिबद्धताएं दी हैं और स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त एआईएफ ने दिनांक 30 जून, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, 1,282 स्टार्टअप्स में लगभग 23,679 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

(ख): सरकार स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) को लागू कर रही है ताकि स्टार्टअप्स को उनके विकास के शुरुआती चरणों में वित्त-पोषण के अवसर प्रदान किए जा सकें।

यह स्कीम, इन्क्यूबेटरों के माध्यम से पात्र स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एसआईएसएफएस की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) निधियों के आबंटन के लिए इन्क्यूबेटरों का मूल्यांकन और चयन करती है जो स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्टार्टअप्स का चयन करते हैं। दिनांक 30 जून 2025 तक स्कीम के तहत चुने गए 219 इनक्यूबेटरों हेतु 945 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।

(ग): देशभर में व्यावसायिक विनियमों को सरल और सुव्यवस्थित बनाने तथा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, सरकार व्यवसाय सुधार कार्य योजना, जन विश्वास तथा व्यवसायों और नागरिकों पर अनुपालन बोझ कम करने जैसी पहलों के माध्यम से विभिन्न उपाय कर रही है। इन उपायों में, आवेदन, नवीकरण, निरीक्षण, रिकॉर्ड की फाइलिंग आदि से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाना; अनावश्यक कानूनों को निरस्त, संशोधित या समाहित करके युक्तिसंगत बनाना, ऑनलाइन इंटरफेस बनाकर डिजिटलीकरण करना, जिससे मैनुअल फॉर्म और रिकॉर्ड की आवश्यकता समाप्त हो जाए तथा गौण प्रकृति की तकनीकी और प्रक्रियागत चूकों का गैर-अपराधीकरण करना शामिल है।

विशेष रूप से स्टार्टअप ईकोसिस्टम के लिए, सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने, पूंजी जुटाने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए 60 से अधिक उपाय किए हैं। इन उपायों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-I एसी के तहत लाभ-संबद्ध कटौती, अनुपालन में छूट, घाटे को आगे ले जाना, इन-बाउंड विलय के लिए त्वरित अनुमोदन प्रक्रिया, तेजी से बाहर निकलने का प्रावधान, सार्वजनिक खरीद में छूट आदि शामिल हैं।

(घ): गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) ने जेम स्टार्टअप रनवे विकसित किया है, जो विशेष रूप से स्टार्टअप्स के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं को सूचीबद्ध करने और सीधे सरकार को बेचने के लिए एक समर्पित मार्केट प्लेस श्रेणी है। दिनांक 30 जून 2025 तक 205 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को जेम स्टार्टअप रनवे के तहत शामिल किया गया है।

*****